


(3)



CFR 182

न्यायालय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

प्र. क्र. / निगरानी / 2 / 2006

R1534-PBA/2006

श्री. डा. सुन्दरा, 25/6/06
द्वारा बाजिद.
जनरल सुपुत्र
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

- 1- गोविंद सिंह
- 2- हर्षलाल
- 3- नारायण सिंह पुत्रगण मनोहर खंगार, समस्त निवासीगण बेरखेड़ा, तह. नरवर, जिला शिवपुरी म० प्र० ... प्रार्थीगण बनाम

- 1- मुलिया फोत वारिसान
- 1- दलीया
- 2- देवलाल
- 3- दरयाब पुत्रगण स्व. श्री धारा समस्त निवासीगण ग्राम खेरा तह. नरवर जिला शिवपुरी

Exp. 2- रामसिंह पुत्र लालाराम खंगार निवासी ग्राम बेरखेड़ा तह. नरवर जिला शिवपुरी म० प्र० प्रतिप्रार्थीगण

S. K. Verma

म० प्र० मू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 179/92-93/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.5.2006 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी।

23/8/06 श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

23/4/2006

- 1- यहकि, प्रार्थी के चाचा सुन्दरा के नाम से ग्राम बेरखेड़ा में कृषि भूमि थी उक्त भूमि सुन्दरा को उनके पिता पारिक्षित से प्राप्त हुई थी सुन्दरा के कोई सन्तान नहीं थी और सुन्दरा का अपीलार्थी एकमात्र वारिस है इसी आधार पर प्रार्थीगणों ने तहसील न्यायालय में मृतक सुन्दरा के स्थान पर अपना नामांकन कराने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एक आवेदन पत्र प्रतिप्रार्थी क. 2 रामसिंह द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामांकन का आवेदन प्रस्तुत किया तथा तीसरा आवेदन पत्र प्रतिप्रार्थी क. 1 मुलिया बाई ने सुन्दरा की बहन होने के आधार पर प्रस्तुत किया तहसील न्यायालय

एक जगरीश' की वारिस
एक के 0 50 रीति

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R15.34-PRM/06 जिला विश्वपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
26.4.16	<p>आवेदन अर्थात् एक जगरीश कायदा उप/अना.2 एवं के लक्ष्य के को का.उ-1 के वादिका 3.3 के को के.डी.दिशि उप/वा.क.उ.120 2 के 2-44 की जग/रिक्त मेकाश जग</p> <p>C.F 12.7.16</p>	<p>92/198</p> <p><i>[Signature]</i></p>
12/7/16	<p>शाब्दिक अर्थ में श्री-अनादीय अनादीय को समय-समय पर आवाज लावाई गई है उपरिक्त मदीय एवं अनुपरिचाल के उक्त प्रकाश अदम 42 की में सहित किया जाता है</p> <p><i>[Signature]</i></p>	